न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 74 / 2021

सुरेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राहम्मण निवासी हमीरवास तन अगवाना खुर्द तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू।

— निगरानीकार

—बनाम—

1. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अगवाना खुर्द पंचायत समिति सूरजगढ, जिला झुंझुनू।
2. सरपंच ग्राम पंचायत अगवाना खुर्द,पं0सं0 सूरजगढ, जिला झुंझुनू।

— गैर निगरानीकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध
दिनांक 09.02.2021 द्वारा ग्राम पंचायत अगवाना खुर्द।

उपस्थितिः—

1. श्री श्रवण कुमार, एडवोकेट ———— — ————निगरानीकार की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक 22.4.2022

उक्त निगरानी अंतर्गत धारा 97 राज0 पंचायत राज. अधि0 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.02.2021 ग्राम पंचायत अगवाना खुर्द के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि— निगरानीकार का कथन है कि उसने भूमि खसरा नंबर 161 रकबा 0.0400 हैक्टर सेटलमेन्ट के समय से ही किस्म आबादी में कटी हुई है और निगरानीकार ने अपनी उक्त आवासीय भूमि में मकान बना रखे हैं। और पुराने गृह का विनियमितिकरण के तहत पट्टा बनाने के लिए आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2020 को सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ गैर निगरानीकारान के कार्यालय में प्रस्तुत किया था। निगरानीकार के उक्त आवासीय भूखण्ड में पुश्तैनी मकान बने हुये हैं। राजस्थान पंचायत राज नियम 157 के तहत पुराने गृहों

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:41 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनू

का विनियमितिकरण के तहत पट्टा जारी करने का स्पष्ट प्रावधान हैं कि जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो, वहां नियमानुसार राशि जमा करवाये जाने के प्श्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा उसके उपरान्त भी गैर निगरानीकार नंबर 1 ने नियमों को ताक में रखकर निगरानीकार को पट्टा जारी न करने में भूल कानूनी की है। उक्त पट्टा पत्रावली निगरानीकार के कार्यालय में प्रस्तुत होने पर गैर निगरानीकार नंबर 2 के द्वारा उक्त पत्रावली को दर्ज कर गैर निगरानीकार नंबर 1 को नियमानुसार शुल्क जमा कर पट्टा जारी करने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन गैर निगरानीकार नंबर 1 के द्वारा आज दिनांक तक पट्टा जारी नहीं किया। पट्टा पत्रावली सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ पेश की गई है, उसके बावजूद भी गैर निगरानीकार नबर 1 के द्वारा मनमर्जी से निगरानीकार की पट्टा पत्रावली को निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार संख्या 1 अ का आदेश दिनांक 9.2.2021 को निरस्त किया जाकर निगरानीकार को पट्टा जारी करने का आदेश फरमाया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। गैर निगरानीकारान बावजूद तामील अनुपस्थित । मिसल ग्राम पंचायत अगवाना खुर्द प्राप्त होने पर विद्धान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस निगरानी सुनी गई।

दौराने बहस वकील निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया किः— भूमि खसरा नंबर 161 रकबा 0.0400 हैक्टर सेटलमेन्ट के समय से ही किस्म आबादी में कटी हुई है और निगरानीकार ने अपनी उक्त आवासीय भूमि में मकान बना रखे हैं। और पुराने गृह का विनियमितिकरण के तहत पट्टा बनाने के लिए आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2020 को सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ गैर निगरानीकारान के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। निगरानीकार के उक्त आवासीय भूखण्ड में पुश्तैनी मकान बने हुये हैं। राजस्थान पंचायती राज नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत पट्टा जारी करने का स्पष्ट प्रावधान हैं कि जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो, वहां नियमानुसार राशि जमा करवाये जाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:41 IST
Reason: SelfAttested

पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा उसके उपरान्त भी गैर निगरानीकार नंबर 1 ने नियमों को ताक में रखकर निगरानीकार को पट्टा जारी न करने में भूल कानूनी की है। उक्त पट्टा पत्रावली निगरानीकार के कार्यालय में प्रस्तुत होने पर गैर निगरानीकार नंबर 2 के द्वारा उक्त पत्रावली को दर्ज कर गैर निगरानीकार नंबर 1 को नियमानुसार शुल्क जमा कर पट्टा जारी करने के लिए निर्देशित किया गया था। लेकिन गैर निगरानीकार नंबर 1 के द्वारा आज दिनांक तक पट्टा जारी नहीं किया। पट्टा पत्रावली सम्पूर्ण दस्तावेज के साथ पेश की गई है, उसके बावजूद भी गैर निगरानीकार नबर 1 के द्वारा मनमर्जी से निगरानीकार की पट्टा पत्रावली को निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगरानीकार संख्या 1 का आदेश दिनांक 9.2.2021 को निरस्त किया जाकर निगरानीकार को पट्टा जारी करने का आदेश फरमाया जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस पर मनन किया। हस्तगत निगरानी में निगरानीकार द्वारा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अगवाना खुर्द को पट्टा बनवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि उसका खसरा नंबर 161 नया व 109 पुराना क्षेत्रफल 400 मीटर सेटलमेंट के दौरा आबादी क्षेत्र में सम्परिर्वतन किया गया था। उक्त खसरा नंबर में कोई दूसरा हिस्सेदार नहीं है, बैंक से लोन हेतु पट्टे की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत अगवाना की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से भूमि खसरा नंबर 161 रकबा 0.0400 गै. मु. आबादी सुरेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र रामजीलाल की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत अगवाना खुर्द के आदेश दिनांक 9.2.2021 को निरस्त कराना चाहा है। ग्राम विकास अधिकारी ,ग्राम पंचायत अगवाना खुर्द पंचायत समित सूरजगढ के आदेश कमांक 270 दिनांक 9.2.2021 के निगरानीकार सुरेन्द्र कुमार दत्ततक पुत्र श्री रामजीलाल निवासी हमीरवास को यह कहते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत पट्टा पत्रावली वापस लौटाई गई है कि–राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 141 से 167 तक में वर्णित प्रावधानों में कृषि भूमि से आबादी भूमि में रूपान्तरित भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत के द्वारा [illegible] जाने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः प्रस्तुत पट्टा पत्रावली आपको लौटाई जाती है। [illegible] प्रकरण में विवादित भूमि की किस्म गै.मु. आबादी है दर्ज है, लेकिन भूमि ग्राम पंचायत अगवाना खुर्द के नाम ना होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रशा. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

निगरानीकार श्री सुरेन्द्र सिंह की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है,। अगर कृषि भूमि से आवासीय आबादी हेतु संपरिर्तन हो तो संपरिवर्तन आदेश का उपपंजीयक के यहां रजिस्टर्ड/पंजीकृत करवाना आवश्यक है। पंजीकरण के बाद उक्त पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर बैंक ऋण आदि स्वीकृत करता है। हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि ग्राम पंचायत अगवाना खुर्द के नाम दर्ज रिकार्ड ना होकर निगरानीकार की स्वयं खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जो ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं होने एवं प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये ग्राम पंचायत अगवाना खुर्द के द्वारा की गई कार्यवाही आदेश दिनांक 09.02.2021 विधिसम्मत प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 22.4.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:32:41 IST
Reason: SelfAttested